

प्रति,

कुलपति,  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद में सदस्यों का नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकितों को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में दिनांक 02/11/2020 से 01/11/2023 तक की कालावधि के लिए सदस्य नाम निर्देशित किया जाता है यथा:-

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग - श्री पंकज सिंह तेकाम  
देवरा तिराहा, मुडकी रोड, डिण्डौरी  
मो0 न0-9424853788
2. अन्य पिछडा वर्ग - सुश्री सीमा पटेल,  
न्यू एच. 111, बरगी हिल्स, जबलपुर-482003  
मो0 न0-9479757552

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर के आदेशानुसार

(सही/-)

राज्यपाल के अपर सचिव  
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ0 क्रमांक/अका./2020/5472  
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रंथित -

जबलपुर दिनांक 21/11/2020

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
2. राज्यपाल के सचिव, राज मवन, म0प्र0, भोपाल 462 052
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
5. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
8. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
9. प्रमारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रमारी कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर